न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 118/2020
बउनवानः—

रामगोपाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी बडा तह0 बारां जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुखबीर मीणा निवासी बडा तह0 बारां जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर0टी0 एक्ट

वकील वादी : श्री अमित कुमार गौड
वकील प्रतिवादी : श्री मनोज कुमार गालव
दायरा दिनांकः 03.11.2020

निर्णय दिनांक : 28.01.2021

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी कम 1 के मृतक पिता सगे भाई थें तथा प्रतिवादी कम 1 के मृतक पिता पूर्व में रामकल्याण पुत्र पांचूलाल के गोद चले गये थें तथा अपने प्राकृतिक पिता की सम्पति में से अपना हक तर्क कर चुके थें। आराजी खसरा नं0 3065 रकबा 1.62 है0 वाके ग्राम बोहत तह0 मांगरोल जो वादी के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। तथा आराजी खसरा नं0 3065/3114, रकबा 1.62 है0 वाके ग्राम बोहत तहसील मांगरोल जो प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है। जो उसको अपने पिता से विरासत में मिली है। उक्त वर्णित आराजियात में आराजी खसरा नं0 3065/3114 रकबा 1.62 है0 ग्राम बोहत विवादित आराजी है। वादी व प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज आराजी जो खसरा नं0 3065 व खसरा नं0 3065/3114 जो पूर्व में एक खसरा नं0 3065 में दर्ज रही है। जो वादी के पिता व प्रतिवादी कम 1 के दादा के नाम दर्ज रही थी। जिसको वादी के पिता लक्ष्मीनारायण ने खरीद की थी। वादी के पिता की मृत्यु बाद उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी वादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। क्योकि प्रतिवादी कम 1 के पिता सुखवीर अपने जीवनकाल में ही रामकल्याण पुत्र पाचूंलाल के गोद चले गये थे। तथा अपने पिता की सम्पत्ति में ही अपना हक तर्क कर [illegible] किन्तु राजस्व कार्मिको ने लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर वादी व [illegible] नामान्तरकरण दर्ज कर दोनो के नाम खाते में दर्ज कर दिये और खाता वि[illegible] पिता की मृत्यु [illegible] ही अपने खाते दर्ज आराजी व प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज विवादित आ[illegible]जी पर काश्त करता आ[illegible]। जिसकी प्रतिवादी कम 1 ने कोई दखलअंदाजी नही की है। इसलिए वादी प्रतिवादी कम 1 के नाम दर्ज विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.03.22 12:21:34 IST
Reason: SelfAttested

आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 का नाम डिलिट करवाकर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी व नालिसी है। प्रतिवादी क्रम 1 उक्त विवादित आराजी को बेचान करने की धमकी दे रहा है अतः यह आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि विवादित आराजी को रहन और बेचान रही करें तथा प्रतिवादी क्रम 1 का नाम विवादित आराजी से डिलिट किया जाकर वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 03.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार गालव ने दिनांक 28.01.2021 को वकालत नामा प्रस्तुत किया तथा वादी व प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से सामुहिक रूप से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 के पिता की मृत्यु हो जाने पर राजस्व रेकार्ड में सहवन से प्रतिवादी क्रम 1 का नाम ग्राम बोहत की आराजी खसरा नं0 3065/3114 रकबा 1.62 है0 पर दर्ज हो गया है जिसको राजीनामा अनुसार उक्त खसरा नम्बर को वादी के नाम दर्ज किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 को कोई आपत्ति नही है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सहवन से प्रतिवादी के खाते दर्ज आराजी वाके ग्राम बोहत खसरा नं0 3065/3114 रकबा 1.62 है0 वादी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त राजीनामा के परिपेक्ष्य में दिनांक 28.01.2021 को वकील वादी व वकील प्रतिवादी क्रम 1 की बहस सुनी गयी। दोनो अधिवक्ताओ ने राजीनामा का समर्थन अपनी–अपनी बहस में किया तथा निवेदन किया कि राजीनामा अनुसार निर्णय पारित किया जावें।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, मनन व अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पत्र को वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के अधिवक्ता द्वारा तस्दीक करवाया गया तथा उभय पक्ष को मजमें आम में राजीनामा पढकर सुनाया गया। उभय पक्ष द्वारा राजीनामा अनुसार निर्णय पारित करने की सहमति दी गयी। अतः सुनी गयी बहस व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व राजीनामा के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोहत की आराजी खसरा नं0 3065/3114 रकबा 1.62 है0 में से प्रतिवादी क्रम 1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र सुखवीर जाति मीणा का नाम डिलिट किया जाकर वादी रामगोपाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी बड[illegible]लित बाजार दर अनुसार स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क अदा करने के पश्चात ग्राम बोहत की आराजी खसरा नं0 3065/3114 रकबा 1.62 है0 का खातेदार घोषित किया जावे। पत्रावली फैशल शुमार संख्या नम्बर में कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.03.22 12:21:34 IST
Reason: SelfAttested

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल